संख्याः 2587/38-7-2008-35। एनआरईजीए/2008

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2008

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना– उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत " जीवन शक्ति परियोजना" (औषधि एवं सगन्ध पौधों का पौध रोपण) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विकसित करने के उद्‌देश्य से " जीवन शक्ति परियोजना" (औषधि एवं सगन्ध पौधों का पौध रोपण) कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं कियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगे:-

1. **योजना का नाम :**

इस योजना को "जीवन शक्ति" परियोजना के नाम से कियान्वित किया जायेगा।

2. **योजना का स्वरूप और उद्‌देश्य :**

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एक अति प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा सदियों से पारम्परिक वैद्यकों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर पारम्परिक औषधियों के माध्यम से बीमारी, लोगों को कम लागत पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती रही है। इस पद्धति में आवश्यक जड़ी बूटियों एवं सगन्ध अवयवों की आपूर्ति सम्बन्धित वैद्यकों द्वारा अपने पारम्परिक ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर क्षेत्रीय रूप से स्थापित वनों से प्राप्त कर ली जाती थी।

परिस्थितियाँ बदलती गयी पारम्परिक वनों का अच्छादित क्षेत्रफल क्रमशः घटता ही गया इस कारण पारम्परिक रूप से वनों से उपलब्ध होने वाली औषधियों की व्यावहारिक उपलब्धता पर भी प्रश्नचिन्ह लगने लगा। कम लागत वाली पारम्परिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति धीरे-धीरे मँहगी होती गयी। पारम्परिक वैद्यकी एवं उसके व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए एवं समाज में उसकी उपयोगिता को देखते हुए हमें इनके व्यावसायिक उत्पादन की ओर फिर से ध्यान देना होगा। ऐसा हो जाने से जहाँ इसका कृषि से जुड़े किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी वहीं हमें अपने पारम्परिक वैद्यकी को रखते हुए आयुर्वेद को जनमानस के स्वास्थ्य की एक

आवश्यक आवश्यकता के रूप में विकसित कर सकेंगे। इस परियोजना से निम्नलिखित लाभ मिलेंगे।

1. ग्रामीण परिवारों को आय का एक अतिरिक्त जरिया मिल सकेगा।
2. पारम्परिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करते हुए जन मानस के स्वास्थ्य एवं निरोगता को बढावा मिलेगा।
3. सम्बन्धित किसानों के अतिरिक्त आय में बढ़ोत्तरी होगी।
4. औषधि के मामलें में एक मानक जी0एम0पी0 (गुड मैनेफ्यूक्चरिंग पैक्ट्रसिज एक्ट) प्रचलन सुनिश्चित हो सकेगा।
5. शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्रफल की बढ़ोत्तरी होने के कारण जी0डी0पी0 में कृषि का अंश बढ़ेगा।
6. वर्तमान चिकित्सा सुविधा पर से अधिभार कम करने में सहयोग प्राप्त होगा।
7. आयुर्वेद/शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति के कारण बेरोजगार वैद्यकों को रोजगार की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा।

3. **नरेगा के प्राविधानों से आच्छादन :**

यह कार्य भारत सरकार के राज–पत्र संख्या 2311 दिनांक 06 मार्च, 2007 की अनुसूची–1 के पैरा–I में उपपैरा–IV के अन्तर्गत किया जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की मार्गनिर्देशिका (यथा संशोधित वर्श 2000) के प्रस्तर–6.1.1(4) के अनुरूप वर्णित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन इस कार्य हेतु किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में भी यह कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा सकता है।

4. **लाभार्थी के चयन की प्रकिया :**

ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत अपनी स्वयं की भूमि पर चयनित प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करेगी तथा सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कार्य करने की दशा में स्वयं सहायता समूहों से आवेदन प्राप्त किया जायेगा। पात्रता, पात्र लाभार्थियों के चयन तथा पौध रोपण हेतु इन लाभार्थियों द्वारा धारित भूमि के निर्धारण/क्षेत्र चयन के संबंध में विभाग द्वारा उद्यानीकरण से संबंधित निर्गत आदेश यथावत लागू होंगे।

5. **कार्य योजना/प्रोजेक्ट बनाने व स्वीकृती की प्रकिया :**

''जीवन शक्ति योजना'' का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–उत्तर प्रदेश में शामिल सभी जिले होंगे। सम्बन्धित जनपदों में यह योजना सामान्य कृषि हेतु उपयोग में आने वाली भूमि में अन्तःकृषि (दो फसलों के बीच का खाली समय)

तथा कृषि की किसी भी गतिविधियों में सामान्य रूप से उपयोग में लायी जाने वाली अन्य भूमि को इसमें शामिल किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत चयनित औषधियों का विवरणः

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, मौसम इत्यादि की विविधता तथा औषधि एवं सघन पौध उत्पादन हेतु वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता एवं उसके आसान आपूर्ति को देखते हुए सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, कालमेघ, पाषाण भेद, सानाय, इसबगोल तथा सघन पौधों में लेमन ग्रास, सेट्रोनेला तथा पामारोजा को सम्मिलित किया गया है। सम्बन्धित औषधियों का संक्षिप्त अर्थशास्त्र विवरण संलग्नक–1 पर प्रस्तुत है।

ग्राम पंचायत के द्वारा जीवन शक्ति परियोजना के अन्तर्गत चयनित कृषक, रकबा/सम्बन्धित फसलक्षेत्र एवं मानक लागत के सापेक्ष नोडल एजेंसी के कर्मी से विचार–विमर्श कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में तकनीकी मार्गदर्शन हेतु नोडल एजेन्सी की मदद ली जायेगी। नोडल एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित परियोजना के मूल्यांकन के बाद अपनी संस्तुति/मंतव्य सहित इसे ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जायेगा। जीवन शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित कार्यो कीं एकजाई प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–उत्तर प्रदेश के तहत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी। उपरोक्त कार्य योजना को ग्राम पंचायत अपने वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित करेगी।

कार्यक्रम की गुणवत्ता मानक स्तर पर बनाये रखने हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा समस्त आवश्यक प्रयास किया जायेगा। औषधि एवं सगन्ध पौध रोपण का कार्य मौसमी/पेरेनियल प्रकृति का है एवं इसे श्रम साध्य गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया है। ग्राम सभा/पंचायत की भूमि पर किये जाने वाले पौध रोपण के क्रम में ग्राम पंचायत तथा पब्लिक सेक्टर की सम्बन्धित कम्पनी अथवा उसके सहयोगी कम्पनी के मध्य संलग्नक प्रारूप पर अनुबन्ध किया जायेगा। मानक अनुबन्ध संलग्नक–3 पर प्रस्तुत है।

औषधि एवं सगन्ध पौधों की फसल तैयार होने पर कम्पनी लाभार्थी/स्वयं सहायता समूह से उत्पाद सीधे क्रय कर सकेगी। उत्पाद के मूल्यों में बाजार भाव में उतार–चढ़ाव काफी तीव्र होता है इस कारण बायो इनर्जी मिशन इण्टरनेट आधारित ट्रेडिंग व्यवस्था लागू करेगा ताकि पंचायतों/सम्बन्धित समूहों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

जीवन शक्ति योजना के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्यो के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन कार्य के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा तथा सम्बन्धित अभिलेखों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत समय–समय पर जारी निर्देशों के प्राविधान यथावत लागू होंगे।

नोडल एजेन्सी का गठनः
जीवन शक्ति योजना को लागू किये जाने हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत स्थापित "बायो इनर्जी मिशन" नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। इनके द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी, मार्ग निर्देश, प्रशिक्षण, समस्त बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था की जायेगी।

6. फण्ड फ्लो का विवरण :
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश–2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का हस्तानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।

7. सामग्री की व्यवस्था :
इसके अन्तर्गत श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध/रोपण सामग्री, आवश्यक इनपुट तथा अन्य तकनीकी ज्ञान सम्बन्धित लाभार्थी, समूह तथा पंयायत को उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी का दायित्व होगा।

8. तकनीकी पर्यवेक्षण :

इस परियोजना के अंतर्गत तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी कृषि विभाग/उद्यान विभाग/वन विभाग/बायो इनर्जी मिशन (नियोजन विभाग) की होगी।

9. रिपोर्टिंग व अनुश्रवण की व्यवस्था :
कार्यक्रम से जुड़ी पब्लिक सैक्टर की कम्पनियों के प्रतिनिधि द्वारा बायो इनर्जी मिशन के नेतृत्व में योजना की समय–वद्ध मानिटरिंग की जायेगी। इसके अलावा सम्बन्धित मानिटरिंग रिपोर्ट जनपदवार कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा राज्य स्तर पर बायो इनर्जी मिशन को प्रत्येक फसल के अन्त में समय–वद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त परियोजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जायगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की शत–प्रतिशत निरीक्षण व अनुश्रवण कराया जायगा। उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर की गई मॉनिटरिंग के निष्कर्षों के अभिलेख संबंधित स्तर पर अनिवार्यतः रखे जायेंगे। परियोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।

लाभार्थी के दायित्व व अधिकार :

लाभार्थी क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। ऐसे लाभार्थी जो कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, वे स्वयं के द्वारा धारित भूमि पर स्वयं भी कार्य कर सकेंगे। लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी। औषधियों एवं सगन्ध पौध से सम्बन्धित फसलों के अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित पंचायत/स्वंय सहायता समूहों द्वारा की जायेगी। इस हेतु तकनीकी मार्ग निर्देश बायो इनर्जी मिशन द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

11. ग्राम पंचायत के दायित्व :

ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित कार्य की कार्य योजना तैयार कराएगी। ग्राम पंचायत नोडल एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करेगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में निजी भूमि पर योजना का क्रियान्वयन भी कराएंगी।

12. क्षेत्र पंचायत के दायित्व :

ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायतों अपने संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी।

13. संबंधित लाइन विभाग का दायित्व :

योजनांतर्गत नोडल एजेंसी (नियोजन विभाग) तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा।

कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सेहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 2587 (1)/38–7–2008 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(16) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(17) प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
(18) प्रमुख अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।
(19) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(21) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।
(22) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
(23) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(24) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(25) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

संलग्नक–1

सर्पगन्धा उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	<u>इनपुट लागत</u>	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	9000.00
2.	कम्पोस्ट खाद	2000.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	800.00
4.	खेत की जुताई की लागत	600.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	400.00
ख:	<u>संचालन व्यय</u>	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	1200.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	800.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	1500.00
4.	सिंचाई	800.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	1500.00
ग–	सकल व्यय (क+ख)	18600.00
घ–	आय (400 किग्रा जड़ x रू0 90 प्रति किग्रा)	36000.00
च–	शुद्ध लाभ (घ–ग)	17400.00
छ–	फसल अवधिः 12 माह, आगामी 3 वर्षो तक आय प्राप्त होगी।	

लेमनग्रास उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	<u>इनपुट लागत</u>	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	5000.00
2.	कम्पोस्ट खाद	2200.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	1150.00
4.	खेत की जुताई की लागत	950.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	500.00
		9800.00
खः	<u>संचालन व्यय</u>	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	1250.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	1140.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	1850.00
4.	सिंचाई	900.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	2000.00
		7140.00
ग–	बिक्री से कुल आय	37800.00
घ–	शुद्ध लाभ (क–ख–ग)	20860.00

च– फसल अवधिः 4–5 महीने प्रति चक्र एवं आगे तीन वर्षों तक।

पामारोजा उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	इनपुट लागत	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	9150.00
2.	कम्पोस्ट खाद	2800.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	5400.00
4.	खेत की जुताई की लागत	1500.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	715.00
		15115.00
खः	संचालन व्यय	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	1900.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	720.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	1300.00
4.	सिंचाई	1500.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	1965.00
		7385.00
ग–	बिक्री से कुल आय	42,450.00
घ–	शुद्ध लाभ (क–ख–ग)	19,950.00
ड–	समय :	4–5 महीने प्रति चक्र एवं आगे तीन वर्षों तक जारी रहेगा।

सिट्रोनेला उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	**इनपुट लागत**	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	12925.00
2.	कम्पोस्ट खाद	2000.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	620.00
4.	खेत की जुताई की लागत	450.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	625.00
ख:	**संचालन व्यय**	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	400.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	580.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	800.00
4.	सिंचाई	600.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	1000.00
ग–	सकल व्यय (क+ख)	20000.00
घ–	आय	
	सकल आय	45940.00
च–	शुद्ध लाभ (घ–ग)	25,490.00
छ–	फसल अवधि : प्रति चार माह में एक बार तथा एक बार रोपण के उपरान्त आगामी तीन वर्षों तक प्राप्तियां सुनिश्चित।	

अश्वगंध कृषि का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	**इनपुट लागत**	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	1800.00
2.	कम्पोस्ट खाद	2500.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	580.00
4.	खेत की जुताई की लागत	400.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	600.00
ख:	**संचालन व्यय**	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	240.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	480.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	200.00
4.	सिंचाई	400.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	800.00
ग–	सकल व्यय (क+ख)	8000.00
घ–	आय	
1.	बीज बिक्री	1500.00
2.	जड़े	18000.00
3.	तना तथा पत्तियाँ	2000.00
	सकल आय	21,500.00
च–	शुद्ध लाभ (घ–ग)	13500.00
छ–	फसल अवधिः 135–150 दिन	

कालमेघ उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	इनपुट लागत	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	2400.00
2.	कम्पोस्ट खाद	1800.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	600.00
4.	खेत की जुताई की लागत	450.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	500.00
ख:	संचालन व्यय	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	260.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	425.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	800.00
4.	सिंचाई	400.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	865.00
ग–	सकल व्यय (क+ख)	8500.00
घ–	आय	
1.	तना तथा पत्तियों बिक्री से आय	28000.00
	सकल आय	28000.00
च–	शुद्ध लाभ (घ–ग)	
छ–	फसल अवधिः 150–160 दिन	

पाषाण भेद उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	इनपुट लागत	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	2000.00
2.	कम्पोस्ट खाद	1600.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	350.00
4.	खेत की जुताई की लागत	600.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	500.00
ख:	संचालन व्यय	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	500.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	600.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	650.00
4.	सिंचाई	400.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	1000.00
ग–	सकल व्यय (क+ख)	8200.00
घ–	आय (ट्यूवर्स तथा कलमें)	30,000.00
च–	शुद्ध लाभ (घ–ग)	21,800.00
छ–	फसल की अवधि 140–150 दिन	

सनाय उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	**इनपुट लागत**	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	1200.00
2.	कम्पोस्ट खाद	800.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	350.00
4.	खेत की जुताई की लागत	250.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	200.00
ख:	**संचालन व्यय**	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	400.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	600.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	800.00
4.	सिंचाई	500.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	400.00
गं–	सकल व्यय (क+ख)	5500.00
घ–	आय	14,800.00
च–	शुद्ध लाभ (घ–ग)	9,300.00
छ–	फसल की अवधि: 130–150 दिन	

इसबगोल उत्पादन कार्यक्रम का आर्थिक विश्लेषण

रकवा : एक एकड़

(रूपये में)

क्र0सं0	मद	लागत
क:	**इनपुट लागत**	
1.	प्लान्टिंग मैटिरियल	2175.00
2.	कम्पोस्ट खाद	1500.00
3.	फसल सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री	550.00
4.	खेत की जुताई की लागत	450.00
5.	प्रारम्भिक सिंचाई लागत	625.00
ख:	**संचालन व्यय**	
1.	खेत की तैयारी हेतु श्रमिकों को मजदूरी	400.00
2.	खाद को खेत मे बिछाने तथा उसके ट्रीटमेन्ट का व्यय	550.00
3.	पौध ट्रान्सप्लाण्टेशन करने में व्यय	1200.00
4.	सिंचाई	600.00
5.	फसल कटाई, छटाई, पैकिंग तथा फारवर्डिंग	2200.00
ग–	सकल व्यय (क+ख)	10,250.00
घ–	आय : 400 किग्रा X रू0 63 प्रति 0216 किग्रा	25,200.00
च–	शुद्ध लाभ (घ–ग)	15,200.00
छ–	फसल की अवधि: 110–130 दिन तक	